

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पौठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 165/2022

अनवान :

रमेश पुत्र खमानाराम जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. खमानाराम पुत्र मामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
2. रामकुमार पुत्र खमानाराम जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
3. भरपाई पत्नी रामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
4. मांगोराम पुत्र रामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
5. प्रमोद पुत्र रामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
6. रोशनी पुत्री रामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
7. सरोज पुत्री रामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
8. सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
9. भतेरी पुत्री रामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
10. लता पुत्री रामचन्द्र जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
11. सन्तरो देवी पुत्री खमानाराम पत्नी शंकरलाल जाति जोगी निवासी शेरडा तहसील भादरा।
हाल बडो रंगरण वाढ्या ब्राहमण तहसील व जिला हिसार।
12. आईसीआईसीआई बैंक शाखा शेरडा जरिये शाखा प्रबंधक शेरडा।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण


कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र पचार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं० 80/60 के खसरा सं० 418/1 की 2.7570 है० कुल खसरा 1 की कुल 2.7570 है० वारानी तथा खाता सं० 448/421 के खसरा सं० 422 की 8.7900 है०, खसरा सं० 423 की 6.323 है० कुल 2 की 15.1130 है० वारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1

खमानाराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं० 1 खमानाराम का नाम कलमजन कर वादी रमेश 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 रामकुमार 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 3 ता 5 भरपाई, मांगेराम, प्रमोद संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 11 ने वादी, प्रतिवादी सं० 2 व प्रतिवादी सं० 3 ता 5 के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं० 6 ता 10 ने प्रतिवादी सं० 3 ता 5 के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुन्तला चौधरी)टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़